सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उ0प्र0, लखनऊ।

दिनांक : [redacted]
1.7.2020

महोदय,

निवेदन व साग्रह अनुरोध के साथ मैं संजय कुमार सिंह सामाजिक एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता आप महोदय का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। वाराणसी जनपद में चिकित्सालयों, पैथालाजी सेन्टर, डाइग्नोस्टिक सेन्टर के नवीनीकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसके जिम्मेवार वाराणसी जनपद के सी0एम0ओ0 डा0 वी0वी0 सिंह व डा0 जंगबहादुर, नोडल अधिकारी पंजीयन वाराणसी हैं। जिन्होंने प्रतिवर्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष विज्ञापन जारी किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि 30 अप्रैल तक उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का प्राधिकार पत्र व अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बिना पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। 30 अप्रैल के बाद किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिन केन्द्रों के पंजीकरण का नवीनीकरण निर्धारित अवधि में नहीं होगा उनका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा। शासन/महानिदेशालय के स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वर्ष 2018, वर्ष 2019 की विज्ञापन की छाया प्रति संलग्नक 1–2 संलग्न है। बहुत ही दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी महाराज के जीरो टालरेन्स व भ्रष्टाचार मुक्त शासन–प्रशासन की धज्जियाँ उड़ाते हुए सी0एम0ओ0, वाराणसी डा0 वी0वी0 सिंह व नोड अधिकारी पंजीकरण वाराणसी डा0 जंगबहादुर द्वारा स्वयं के द्वारा निकाले विज्ञापन के विरुद्ध निम्नलिखित चिकित्सालयों की बिना अग्निशमन विभागी की एन0ओ0सी0 (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के ही नवीनीकरण करते हुए संचालित करायी जा रही अग्निशमन विभाग द्वारा मेरे आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र के क्रम में दी गयी सूचना से स्पष्ट है छाया प्रति संलग्नक 3 संलग्न है। बिना अग्निशमन विभाग की एन0ओ0सी0 के अस्पतालों के संचालन की अनुमति देते हुए आयुष्मान भारत व सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए बनाये गये पैनल में भी रखा गया यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय व प्रधानमंत्री महोदय को भुलावे में रखते हुए सी0एम0ओ0 डा0 वी0वी0 सिंह व डा0 जंगबहादुर द्वारा प्रायोजित अनोखा भ्रष्टाचार है। उक्त प्रायोजित भ्रष्टाचार व भुलावे में रखने की भी जाँच होनी चाहिए हजारों लोगों की प्रतिदिन जिन्दगी को दाँव पर लगाने वाले अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए 30 अप्रैल के आद आयुष्मान भारत योजना, केन्द्रीय व राज्य

Scanned by CamScanner

कर्मचारियों तथा बीमा कम्पनियों द्वारा किये गये भुगतान की तत्काल वसूली की जाय तथा सी0एम0ओ0 डा0 वी0वी0 सिंह व डा0 जंगबहादुर पंजीकरण / नवीनीकरण नोडल अधिकारी वाराणसी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाय तथा उनके द्वारा अर्जित समस्त सम्पत्ति की जाँच ई0डी0 से कराते हुए वाराणसी में मेडिकल स्टोर, चिकित्सालयों, पैथालाजी सेन्टर, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, डेण्टल क्लिनिक, मेडिकल क्लिनिक, नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण की जाँच सी0बी0आई0 से करायी जाय तथा उक्त चिकित्सालयों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 कराते हुए चिकित्सालयों को सीज किया जाय तथा रजिस्ट्रेशन व चिकित्सालयों की विकास प्राधिकरण वाराणसी से पास नक्शे की भी जाँच किया जाय।

जिन चिकित्सालयों व पैथालाजी सेन्टर तथा डाइग्नोस्टिक सेन्टर को अग्निशमन विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 नहीं दी गयी की सूची तथा साक्ष्य के रूप में अग्निशमन विभाग द्वारा 29 सितम्बर 2019 का पत्र संलग्न है।

1. पी0एम0सी0 हास्पिटल, रविन्द्रपुरी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी।
2. एपेक्स हास्पिटल, डी0एल0डब्ल्यू0, हाइडिल रोड, वाराणंसी।
3. सन्तुष्टि हास्पिटल, बी0एच0यू0 सुन्दरपुर, वाराणसी।
4. उपकार हास्पिटल, सुन्दरपुर, नेवादा, वाराणसी।
5. हेरिटेज हास्पिटल, लंका, वाराणसी।
6. पापुलर हास्पिटल, ककरमत्ता, डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी।
7. अलकनन्दा हास्पिटल, रविन्द्रपुरी, दुर्गकुण्ड, वाराणसी।
8. प्रकाश पैथालाजी एवं रेडियोलाजी, लंका, वाराणसी।
9. एस0एल0आर0 हाइग्नोस्टिक, लंका, वाराणसी

को वर्ष 2019 में कोई प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया है।

<u>संलग्नकः—</u>

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा जारी विज्ञापन की वर्ष 2018 व 2019 की छाया प्रति।
2. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी पत्र।

भवदीय

(signature)

(संजय कुमार सिंह)
ग्राम व पो0—राजवारी
जनपद—वाराणसी
पिनकोड—221116
मो0 9451689521

<u>प्रेषित प्रतिलिपि –</u>

(1) मु० सचिव उ०प्र० लखनऊ
(2) महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र० लखनऊ
(3) स्वास्थ्य मंत्री उ०प्र० लखनऊ
(4) लोकायुक्त महोदय उ०प्र० लखनऊ
(5) अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी
(6) जिलाधिकारी महोदय वाराणसी उ०प्र०
(7) मु० न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज)

Scanned by CamScanner

10.1.2020

दिनांक : ~~13.12.20~~19
~~13.12.2019~~
10.1.2020

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

निवेदन व साग्रह अनुरोध के साथ मैं संजय कुमार सिंह सामाजिक एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता आप महोदय का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। वाराणसी जनपद में चिकित्सालयों, पैथालाजी सेन्टर, डाइग्नोस्टिक सेन्टर के नवीनीकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसके जिम्मेवार वाराणसी जनपद के सी0एम0ओ0 डा0 वी0वी0 सिंह व डा0 जंगबहादुर, नोडल अधिकारी पंजीयन वाराणसी हैं। जिन्होंने प्रतिवर्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष विज्ञापन जारी किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि 30 अप्रैल तक उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का प्राधिकार पत्र व अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बिना पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। 30 अप्रैल के बाद किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जिन केन्द्रों के पंजीकरण का नवीनीकरण निर्धारित अवधि में नहीं होगा उनका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा। शासन/महानिदेशालय के स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वर्ष 2018, वर्ष 2019 की विज्ञापन की छाया प्रति संलग्नक 1–2 संलग्न है। बहुत ही दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी महाराज के जीरो टालरेन्स व भ्रष्टाचार मुक्त शासन–प्रशासन की धज्जियाँ उड़ाते हुए सी0एम0ओ0, वाराणसी डा0 वी0वी0 सिंह व नोडल अधिकारी पंजीकरण वाराणसी डा0 जंगबहादुर द्वारा स्वयं के द्वारा निकाले विज्ञापन के विरुद्ध निम्नलिखित चिकित्सालयों की बिना अग्निशमन विभागी की एन0ओ0सी0 (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के ही नवीनीकरण करते हुए संचालित करायी जा रही अग्निशमन विभाग द्वारा मेरे आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र के क्रम में दी गयी सूचना से स्पष्ट है छाया प्रति संलग्नक 3 संलग्न है। बिना अग्निशमन विभाग की एन0ओ0सी0 के अस्पतालों के संचालन की अनुमति देते हुए आयुष्मान भारत व सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए बनाये गये पैनल में भी रखा गया यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय व प्रधानमंत्री महोदय को भुलावे में रखते हुए सी0एम0ओ0 डा0 वी0वी0 सिंह व डा0 जंगबहादुर द्वारा प्रायोजित अनोखा भ्रष्टाचार है। उक्त प्रायोजित भ्रष्टाचार व भुलावे में रखने की भी जाँच होनी चाहिए हजारों लोगों की प्रतिदिन जिन्दगी को दाँव पर लगाने वाले अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए 30 अप्रैल के आद आयुष्मान भारत योजना, केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों तथा बीमा कम्पनियों द्वारा किये गये भुगतान की तत्काल वसूली की जाय

Scanned by CamScanner

तथा सी0एम0ओ0 डा0 वी0वी0 सिंह व डा0 जंगबहादुर पंजीकरण/नवीनीकरण नोडल अधिकारी वाराणसी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाय तथा उनके द्वारा अर्जित समस्त सम्पत्ति की जाँच ई0डी0 से कराते हुए वाराणसी में मेडिकल स्टोर, चिकित्सालयों, पैथालाजी सेन्टर, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, डेण्टल क्लिनिक, मेडिकल क्लिनिक, नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण की जाँच सी0बी0आई0 से करायी जाय तथा उक्त चिकित्सालयों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 कराते हुए चिकित्सालयों को सीज किया जाय तथा रजिस्ट्रेशन व चिकित्सालयों की विकास प्राधिकरण वाराणसी से पास नक्शे की भी जाँच किया जाय।

जिन चिकित्सालयों का अग्निशमन विभाग के कार्यालय में कोई अभिलेख ही उपलब्ध नहीं है इसका सीधा अर्थ है कि इन चिकित्सालयों द्वारा अग्निशमन विभाग में एन0ओ0सी0 के लिए आवेदन नहीं किया था जिस कारण बिना एन0ओ0सी0 के ही उक्त चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। साक्ष्य के रूप में मु0 अग्निशमन अधिकारी वाराणसी के पत्र दिनांक 29 सितम्बर को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा उक्त चिकित्सालयों की सूची भी दे रहा हूँ।

1. मेरिडियन हास्पिटल, तिलमापुर, वाराणसी।
2. हरिबन्धु हास्पिटल, पंचकोशी, वाराणसी।
3. गैलेक्सी हास्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।
4. लक्ष्मी मेडिकल व सर्जिकल हास्पिटल, मलदहिया, कैण्ट, वाराणसी।
5. जामिया हास्पिटल, पीलीकोठी, वाराणसी।
6. सिंह मेडिकल व रिसर्च सेन्टर, मलदहिया, वाराणसी।
7. सृजन हास्पिटल पहड़िया, वाराणसी।
8. त्रिमूर्ति हास्पिटल, अर्दली बाजार, वाराणसी।
9. शिव हास्पिटल एवं मैटरनिटी होम, अकथा, वाराणसी।
10. सुधा सर्जिकल, टैगोर टाउन, भोजूबीर, वाराणसी।
11. डा0 एस0 नाथ आई क्लिनिक, लहुराबीर, वाराणसी।
12. शुभम हास्पिटल, मकबूल आलम रोड, वाराणसी।

<u>संलग्नकः–</u>

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा जारी विज्ञापन की वर्ष 2018 व 2019 की छाया प्रति।
2. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी पत्र।

सेवामे- श्रीमान महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण उ0 प्र0

भवदीय
Sd/-
(संजय कुमार सिंह)
ग्राम व पो0–राजवारी
जनपद–वाराणसी
पिनकोड–221116
मो0 9451689521

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी।

सूचना

एतद्द्वारा मा. उच्चतम् न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनपद वाराणसी में निजी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट/प्राईवेट लि. कम्पनी/पब्लिक लि. कम्पनी द्वारा संचालित समस्त प्रकार के अस्पताल, नर्सिंग होम, मैटर्निटी होम, मेडिकल क्लीनिक, प्राईवेट प्रैक्टिनर्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, पैथालॉजी लैब, डायग्नोस्टिक क्लीनिक के संचालक/संचालकों/प्रभारी को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त से सम्बन्धित संचालन केन्द्र के वर्ष 2018-19 के नवीनीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन पत्र की मूल प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित उसकी दो छायाप्रति, प्रदूषण नियंत्रण एवं अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत वैध प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित सादे कागज पर आवेदन पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2018 के सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय (कबीर नगर, दुर्गाकुण्ड वाराणसी) में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। मूल रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन के लिए नोटरी हलफनामा के साथ परिवर्तन/संशोधन सम्बन्धी अभिलेख की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रेषित करना होगा।

निर्धारित अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक नवीनीकरण नहीं करने वाले उपरोक्त से सम्बन्धित केन्द्र का रजिस्ट्रेशन स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संचालन करने वाले ऐसे केन्द्र के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संचालक/प्रभारी का होगा।

गैर पंजीकृत एवं अनाधिकृत रूप से चिकित्सकीय सेवाओं में लिप्त झोलाछाप तत्काल ऐसी सेवायें बन्द कर दें अन्यथा की स्थिति में पकड़े जाने पर उनके प्रतिष्ठानों को सील करते हुए उनकी विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी।

(डा. वी.बी. सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
वाराणसी।

पत्र सं.सी.एम.ओ./विज्ञापन/पंजी./2018-19/1632 दिनांक 14 मार्च, 2018

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी

सूचना

वाद सं.-820/2002 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए.पी. वर्मा व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में वाराणसी जनपद में क्रियाशील निजी चिकित्सकों, नर्सिंग होम, मेडिकल क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, पैथालॉजी लैब, कलेक्शन सेण्टर एवं डायग्नोस्टिक सेण्टर आदि के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने केन्द्र का क्लीनिकल स्टेबलिसमेण्ट एक्ट 2010 में निहित प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार उ.प्र. सरकार के वेबसाईट www.up-health.in पर पंजीकरण करते हुए ऑनलाईन आवेदन करके हार्डकापी मय संलग्नक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 30 अप्रैल, 2019 तक जमा करना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। स्थानीय पंजीयन/पंजीकरण नवीनीकरण हेतु उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्राधिकार पत्र एवं अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बिना पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। जिन केन्द्रों के पंजीकरण का नवीनीकरण निर्धारित अवधि में नहीं होगा उनका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा और शासन/महानिदेशालय स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गैर पंजीकृत एवं अनाधिकृत रूप से चिकित्सकीय सेवाओं में लिप्त झोलाछाप तत्काल ऐसी सेवायें बन्द कर दें अन्यथा की स्थिति में पकड़े जाने पर उनके प्रतिष्ठानों को सील करते हुए उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी।

(डा. जंग बहादुर)
नोडल अधिकारी पंजीयन
वाराणसी।

(डा. वी.बी. सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
वाराणसी

पत्र सं. सी.एम.ओ./निजीकरण/पंजी./2018-19/2297

दिनांक 16 अप्रैल, 2019

द्वारा रजिस्टर्ड

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/जनसूचना/2009–16 दिनांकः सितम्बर 29, 2019

सेवा में,

संलग्नक (3)

संजय कुमार सिंह,
ग्राम व पोस्ट–राजवारी,
वाराणसी पिन कोड–221116
मो0नं0–09451689521

कृपया आप अपने पत्र दिनांकः 10.09.2019 का अवलोकन करें, जो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांकः 14.09.2019 को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया गया है कि, सूचना अधिकार अधिनियम –2005 के तहत पत्र में वर्णित क्रमांक 01 से 22 तक के चिकित्सालयों, विद्यालयों, भवनों व पैथालाजी व डाइग्नोस्टिक सेन्टर को जारी एन0ओ0सी0 (अग्निशसमन सुरक्षा प्रमाण) की प्रमाणित छायाप्रति देने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी की आख्या दिनांकः 23.09.2019 के अनुसार पी0एम0सी0 हास्पिटल, रविन्द्रपुरी, एपेक्स हास्पिटल डी0एल0डब्ल्यू0, सन्तुष्टि हास्टिल बी0एच0यू0 सुन्दरपुर, उपकार हास्प्टिल नेवादा सुन्दरपुर, हेरिटेज हास्पिटल लंका, पापुलर हास्टिपल ककरमत्ता, अलखनन्दा हास्पिटल रविन्द्रपुरी, प्रकाश पैथालाजी एवं रेडियोलॉजी लंका व एस0एल0आर0 डायग्नोस्टिक लंका, वाराणसी को वर्ष 2019 में कोई प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है तथा अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी की आख्यां दिनांकः 24.09.2019 के अनुसार चेतगंज क्षेत्रान्तर्गत क्रमांक 01, 02, 04, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 पर अंकित हास्पिटलों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नही है।

अतः आख्या सूचनार्थ प्रेषित है।

29 SEP 2019

(अनिमेष सिंह)
(अनिमेष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।
वाराणसी।

प्रतिलिपिः–आंकिक, पुलिस कार्यालय, वाराणसी को सूचनार्थ एवं 10/– रूपये का पोस्टल आर्डर नम्बर 47F 721115 को संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned by CamScanner